कानपुर नगर निगम

वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. ठेकेदार /फर्म का नाम :
2. ठेकेदार/फर्म के सदस्यों का नाम व पता :
3. श्रेणी ....
4. विगत वर्ष रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की श्रेणी :.......................
5. स्वामी अथवा भागीदार के राजपत्रित/नगर निगम अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो ।

पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु निम्नवत नियम व शर्तें होंगी :–

6. समस्त श्रेणीबद्ध ठेकेदारों को उनको अपनी सीमा के अनुरूप ई–टेण्डरिंग के द्वारा नगर निगम में एन0आई0सी0 की बेवसाइट etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा प्रदत्त की जायेगी जिसमें निविदा के साथ निविदा मूल्य एवं जमानती धनराशि भी ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी।
7. नवीनीकरण हेतु फर्म को अपने विगत वर्ष के पंजीकरण की श्रेणी का उल्लेख करते हुये गत वर्ष किये गये कार्यो का विवरण निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें :

क0सं0	जोन सं0	कार्य का नाम	कार्यादेश धनांक	निविदा दर	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य विलम्ब से करने का कारण

8. श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या :
9. श्रमिकों की संख्या जिन्हें श्रम विभाग में पजीकृत कराया गया है :
10. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संख्या :
11. आयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन संख्या (पेन नम्बर) :
12. आधार कार्ड नम्बर :
13. जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि :
14. जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र की संख्या व तिथि :
15. अपने फर्म व निवास का प्रमाणित पता जिसके लिये टेलीफोन का बिल ,राशन कार्ड ,, आधार कार्ड, परिचय पत्र जो निर्वाचन आयेग से जारी किया गया हो अथवा तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
16. यदि भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म है तो उसके लिये **रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन** एवं पंजीकृत रजिस्टर्ड डीड की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
17. यदि फर्म प्राईवेट लिमिटेड अथवा लिमिटेड है तो **रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी** का रजिस्ट्रेशन तथा आर्टिकल ऑफ मेमोरेन्डम भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. निर्धारित जमानती धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैकों की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना होगा जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कानपुर नगर निगम के नाम बन्धक होगी जो रिफन्डेवुल होगी।

19. नये पंजीकरण हेतु शर्तो के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ विगत तीन वित्तीय वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण जिसमें विभाग के नाम का उल्लेख किया गया हो ।
20. हॉट मिक्स प्लाण्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु शहर से स्थापित प्लाण्ट की दूरी, प्लाण्ट के स्वामित्व का प्रमाण पत्र एवं सामान्य पंजीकरण/नवीनीकरण के समस्त बिन्दुओं का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। हॉट मिक्स प्लाण्ट धारक श्रेणी में पंजीकरण हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. उच्च श्रेणी का ठेकेदार अपने से निम्न समस्त श्रेणी में निविदा डाल सकता है परन्तु निम्न श्रेणी का ठेकेदार उच्च श्रेणी में निविदा नहीं डाल सकता है ।
22. ठेकेदार द्वारा नियम एवं शर्तो में उल्लेखित शपथ पत्र साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु वांछित प्रपत्र सत्य हैं, कूटरचित नहीं हैं।
23. ठेकेदारों का पॉच वर्गो में वर्गीकरण किया गया है, जो निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही कार्य ले सकेगें।

श्रेणी	अधिकृत निविदा धनराशि	जमानती धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण /	नवीनीकरण शुल्क
सुपर "ए" (एच.एम.पी.)	हाटमिक्स प्लान्ट से किये जाने वाले समस्त कार्य	150000/–	50 लाख	50000/–	20000.00
सुपर "ए"	रूपये 50 लाख से अधिक	75,000/–	30 लाख	25000/–	15000.00
"ए"	रूपये 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	40,000/–	20 लाख	15000/–	10000.00
"बी"	रूपये 5 लाख से अधिक 20 लाख तक	25,000/–	10 लाख	10000/–	5000.00
"सी"	रूपये 2 लाख से अधिक 5 लाख तक	20,000/–	02 लाख	8000/–	3000.00

निविदा मूल्य हेतु निम्नानुसार पूर्वस्वीकृत दरें प्राविधानित हैः–

अधिकृत निविदा धनराशि	निविदा मूल्य
धनांक रू0 1 लाख तक	100.00
धनांक रू. 5 लाख तक	500.00
धनांक रू. 20 लाख तक	1000.00
धनांक रू. 30 लाख तक	1500.00
धनांक रू. 30 लाख से अधिक की धनराशि	2000.00

मैं/हम घोषणा करता/करते/करती हूॅ/हैं कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–463 व 464 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन कर रहा/रही हूॅ/हैं।

शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी सभी नियम एवं शर्तें हमें मान्य हैं एवं मेरे द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण प्रपत्र में दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा । मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है एवं मैं/हम नियमावली एवं निविदा शर्तो के अनुसार कार्य करूॅगा/करूॅगी ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा वर्ष 2026–27 में ....श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर)

नाम :–

पता :–

कार्यरत दूरभाष संख्या :–

ठेकेदार का वर्ष 2026–2027 में ( ) श्रेणी हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण करने की संस्तुति की जाती है ।

अधि0अभि0–1 अधि0अभि0–2 अधि0अभि0–3 अधि0अभि0–4 अधि0अभि0–5 अधि0अभि0–6

नियम एवं शर्ते

1. ठेकेदारी के पंजीकरण अविभाजित हिन्दु परिवार, इण्डियन पार्टनशिप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पब्लिक अथवा प्राईवेट लि0 कम्पनी आदि शामिल होंगी के रूप में किया जा सकता है।
2. उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, जल निगम अथवा अन्य प्रदेशित एवं भारत सरकार के अधीन संस्थान/उपक्रम पंजीकरण से मुक्त होगे।
3. शासनादेशानुसार जिलाधिकारी स्तर से जारी नवीनतम हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदारी के पंजीकरण यदि संस्था अथवा साझेदारी के रूप में है तो समस्त साझीदार के चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र संस्था के नाम देय होगा तथा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एवं पंजीकृत रजिस्टर्ड डीड की कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. पंजीकरण/नवीनीकरण के समय ठेकेदार को श्रम विभाग व जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. ठेकेदार किसी भी अन्य संस्था में काली सूची में दर्ज न हों।
7. वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा , यदि वह
    1. आचरण की दृष्टि से संबन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे संबन्ध रहा हो।
    2. दिवालिया हो गया है एवं उससे छुटकारा न पा सका हो अथवा
    3. अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा
    4. नगर निगम के अन्तर्गत लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो अथवा
    5. नगर निगम की सेवा में किसी कर्मचारी/अधिकारी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक रूप से संबधित हो अथवा
    6. पूर्व में पंजीकरण काली सूची में/डिबार न किया गया प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलो में नगर आयुक्त अपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते हैं।
    7. नगर निगम सदन का निर्वाचित एवं पदेन सदस्य हो।
    8. किसी बार काउन्सिल का सदस्य एडवोकेट हो ।
8. **हॉट मिक्स प्लान्ट धारक सुपर एः–**

    हॉट मिक्स प्लान्ट धारक किसी भी हाट मिक्स प्लान्ट के कार्य की किसी भी धनराशि तक के कार्य हेतु अर्ह होंगे तथा उनको अपने तकनीकी स्टाफ जो कि स्नातक अभियन्ता की नियुक्ति पत्र की जानकारी के साथ–साथ अपने हॉट मिक्स प्लान्ट की सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रदूषण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजीकरण के साथ देना अनिवार्य होगा।

    सुपर एः–

    रू 50 लाख से अधिक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होगे। संस्था को स्नातक अभियन्ता/डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार/फर्म को नियुक्त कर अवगत कराना होगा।

    ए श्रेणीः–

    रू 50 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होगे। संस्था को डिप्लोमाधारी अभि0 ठेकेदार/फर्म को नियुक्त कर अवगत कराना होगा।

    बी श्रेणीः–

    रू 20 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। बी श्रेणी के ठेकेदार को तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नही होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारो को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी जिनके पास पूर्णकालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हो।

    सी श्रेणीः–

    रू 5 लाख तक के सिविल कार्य हेतु अर्ह होंगे। सी श्रेणी के ठेकेदार को तकनीकी स्टाफ की अनिवार्यता नही होगी, परन्तु कार्य देते समय ऐसे पंजीकृत ठेकेदारो को दरें समान होने पर वरीयता दी जायेगी जिनके पास पूर्णकालिक तकनीकी डिप्लोमाधारी नियुक्त हो।
9. निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों के परिवारिक सदस्यो को ठेकेदार के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण कार्य करने से पूर्व निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों से नगर निगम अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित नियमानुसार घोषण/षपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु विचार किया जायेगा।
10. हाट मिक्स प्लान्ट/सपुर ए वर्ग में पंजीकरण चाहने वाले ठेकेदारो/फर्मों को स्थायी अभियन्त्रण आर्गेनाईजेशन रखना आवश्यक होगा जो बडे कार्य को प्रत्येक स्तर पर सम्पादित करने में सक्षम हों। ऐसे सभी ठेकेदारों/फर्मो को यथेष्ट मशीनरी एवं टूल्स होने का पूर्ण विवरण पंजीकरण आवेदन करते समय देना होगा। ऐसे सभी आवेदनकर्ताओं को प्रार्थना पत्र के साथ अभियन्त्रण स्टाफ एवं मशीनरी व टूल्स सम्बन्धी पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
11. ठेकेदारी में पंजीकरण निम्न श्रेणियों में कराया जा सकता है।

1. हाट मिक्स प्लान्ट धारक सुपर ए के लिए ठेकदार का स्वंय का प्लाण्ट एवं उससे समबन्धित यंत्र–संयन्त्र उपलब्ध होने चाहिए। प्लान्ट नगर निगम सीमा से निर्धारित दूरी पर स्थापित होना चाहिए, विगत तीन वर्षों की ऑडिट तलपट के साथ साथ तीन वर्ष का बैंक विवरण व आयकर फार्म 16 प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त विगत तीन वर्षो का कम से कम रू 1.00 करोड के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये कार्यों का अनुभव भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. **सुपर ए** विगत तीन वर्षो की ऑडिट तलपट के साथ साथ तीन वर्ष का बैंक विवरण व विगत तीन वर्ष का आयकर फार्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त विगत तीन वर्षों का कम से कम रू 1.00 करोड के कार्यों का अनुभव भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. **ए श्रेणी**–विगत एक वर्ष की ऑडिट तलपट के साथ साथ एक वर्ष का बैंक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त विगत तीन वर्षों का कम से कम रू 50 लाख के कार्यों का अनुभव भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. **बी श्रेणी**–विगत एक वर्ष का बैंक विवरण एवं एक वर्ष का फर्म के नाम का आयकर विवरण प्रस्ततु करना अनिवार्य होगा।

12 पंजीकृत ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, जानबूझ कर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करना, तथ्यों को छुपा कर विभाग को गुमराह करना, विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को डरा धमकाकर कार्य कराना तथा अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म के ब्लैक लिस्ट होने की दशा में ठेकेदार को नगर निगम द्वारा देय उक्त कार्य की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता की संस्तुति पर ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर को होगा।

13. वांछित अभिलखे आवेदन पत्र के साथ जमा न करने पर अथवा किन्हीं कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता नगर निगम कानपुर में निहित होगा।

14. ठेकेदार जनरल सिक्योरिटी/स्थाई जमानत के विरूद्ध निविदा दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं है निविदा में निविदा शर्तों के अनुसार जमानती धनराशि एन0आई0टी0 के अनुसार निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

15. यदि कोई फर्म/ठेकेदार किन्ही कारणों से निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दी जाती है तो इस फर्म/ठेकेदार के मालिक या कोई पार्टनर यदि किसी अन्य फर्म का पार्टनर अथवा मालिक हो तो वह फर्म भी स्वतः ब्लैक लिस्ट हो जायेगी।

16. नगर निगम द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों पर भविष्य में भी समय–समय पर जारी किये गये आदेश मान्य होंगे।

17. नियमावली का कोई नियम बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त, सम्मिलित अथवा संसोधित करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

18. कोई ऐसा व्यक्ति जिसने निगम में सेवा की हो, सेवा समाप्त होने के 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही पंजीकरण हेतु पात्र होगा।

19. नगर निगम को अग्रिम जानकारी दिये बिना ठेकेदार नई कोई पार्टनरशिप डीड नहीं करेगे। यदि ऐसा प्रस्ताव है तो इससे पूर्व पार्टनरशिप डीड शपथ के साथ मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता नगर निगम कानपुर को पूर्ण विवरण देना होगा।

20. किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

21. क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत तीन वर्षो में किसी अन्य विभागों के कार्यों को सम्मिलित करते हुये किये गये कार्यों का विवरण देना होगा। जो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित होना आवश्यक है।

21. एक करोड़ से ऊपर तक विशिष्ठ प्रकार के कार्य ग्रुप हाऊसिंग, ऑडीटोरियम, कॉमर्शियल आदि कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार में पंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डाल सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें निगम में पंजीकरण बाद में स्वीकृति के पूर्व कराना होगा एवं उक्त के अतिरिक्त निर्धारित शपथ पत्र पंजीकरण/नवीनीकरण के समय देना अनिवार्य होगा।

22. उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण में कोई भी बदलाव/संषोधन का अधिकार मुख्य अभियन्ता में निहित होगें।

शपथ पत्र

मै ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....

...........................निवासी का स्थाई पता...

....

अस्थायी पता/स्थानीय पता...

....

का निवासी /निवासिनी हूँ। मै शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँः–

1. मैं फर्म का पार्टनर/ प्रोपराइटर हूँः–
2. मेरी फर्म किसी विभाग द्वारा कभी काली सूची में नही डाली गई है। फर्म के किसी पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से काली सूची में नही डाला गया है।
3. फर्म के ऊपर किसी विभाग का कोई बकाया नही है।
4. फर्म के किसी पार्टनर/प्रोपराइर्टर को न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया है।
5. मै /हम घोषणा करता/करते/करती हूँ/हैं कि राजाज्ञा सं 455 /ए0सी0पी0 0023 पी0डब्लू0डी0 73 एम0एस0ए0/96 दिनांक–22.11.1963 के अनुसार हमारा कोई निकट का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं हैं। कार्य करने की दशा में उनका नाम मय पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा/रही हूँ/हैं ।
6. शपथ पूर्वक प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। असत्य पाये जाने पर मेरा पंजीकरण निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा । मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है एवं मैं/हम नियमावली एवं निविदा शर्तो के अनुसार कार्य करूॅगा/करूॅगी ।
7. फर्म द्वारा पंजीकरण के समय संलग्न किये गये समस्त प्रपत्र सत्य है एवं किसी भी प्रकार से कूटरचित नहीं है।

मै अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशोहवाश मे स्वकथित से पूरी सत्य निष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र लिख रहा/रही हूँ। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथी का पूर्ण हस्ताक्षर...

पूरा नाम..

पता...

कानपुर नगर निगम

वर्ष 2026–27 में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु

सूचना

कानपुर नगर निगम में कार्यरत पूर्व के ठेकेदारों तथा अन्य इच्छुक ठेकेदारों से नगर निगम के अभियंत्रण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में पंजीकरण हेतु विभिन्न श्रेणियों में ठेकेदारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं साथ ही जिन ठेकेदारों द्वारा अपने नवीनीकरण कराये जाने है उनको भी सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित फार्म पर वांछित औपचारिकता पूर्ण करते हुये अपने आवेदन पत्र नगर निगम में जमा कर दें । पूर्ण रूप से भरे हुये फार्म मुख्य अभियंता (सिविल) कार्यालय में जमा किये जायेंगे। पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नगर निगम में प्रचलित पंजीकरण नियमावली के समस्त उपबन्ध/नियम यथावत् लागू रहेंगे। नवीनीकरण/पंजीकरण फार्म मुख्य अभियंता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । शेष शर्ते पंजीकरण/नवीनीकरण फार्म के साथ उल्लिखित हैं।

1. श्रेणीवार प्रमुख औपचारिकतायें निम्नवत है : –

श्रेणी	अधिकृत निविदा धनराशि	जमानती धनराशि	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण /	नवीनीकरण शुल्क
सुपर "ए" (एच.एम.पी.)	हाटमिक्स प्लान्ट से किये जाने वाले समस्त कार्य	150000/–	50 लाख	50000/–	20000.00
सुपर "ए"	रूपये 50 लाख से अधिक	75,000/–	30 लाख	25000/–	15000.00
"ए"	रूपये 20 लाख से अधिक 50 लाख तक	40,000/–	20 लाख	15000/–	10000.00
"बी"	रूपये 5 लाख से अधिक 20 लाख तक	25,000/–	10 लाख	10000/–	5000.00
"सी"	रूपये 2 लाख से अधिक 5 लाख तक	20,000/–	02 लाख	8000/–	3000.00

निविदा मूल्य हेतु निम्नानुसार पूर्वस्वीकृत दरें प्राविधानित हैं:–

अधिकृत निविदा धनराशि	निविदा मूल्य
धनांक रू0 1 लाख तक निविदा	100.00
धनांक 100001 से 5 लाख तक की निविदा	500.00
धनांक 500001 से 20 लाख तक की निविदा	1000.00
धनांक 2000001 से 30 लाख तक की निविदा	1500.00
धनांक 30 लाख से अधिक लागत की निविदा	2000.00

पंजीकरण/नवीनीकरण फार्म नगर निगम की वेब साईट www.kmc.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, कानपुर